FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	अप्रार्थी
राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर	

किस्म मुकदमा प्रार्थना–पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957

प्रार्थना–पत्र नम्बर 461/2021 **GCMS No. 2021/534**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.10.2021	राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना–पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के तहत कैम्प ग्राम पंचायत रूपपुरा टोरड़ा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रकरण का अलवोकन किया गया। **ग्राम रूपपुरा टोरडा पटवार मण्डल रूपपुरा टोरडा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 173** में जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात चालू नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का, परिशिष्ट " ए " की प्रति, एवं अभिशंषा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा की गई है। सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है सम्बन्धित खातेदारान की प्रकरण में सहमती नही है तथा न ही किसी प्रकार का संबंधित खातेदारो द्वारा लिखित स्वरूप सहमती पत्र या अनापत्ती प्रस्तुत हुई है। प्रश्नगत भूमि के पहले से ही उत्तर दिशा में रास्ता मौजूद है इसलिए खसरा नम्बर 173 में उत्तरी तरफ दर्शाये गये नजरी नक्शे में प्रस्तावित रास्ता नही दिया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र साबित नही होने से खारिज किया जाता है। मिसल फैसल [illegible] हो। Signature Not Verified Digitally signed by Babu Lal Jat Date: 2022.01.17 11:46:28 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	